न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2024/10

1. संतोष पुत्र हृदयराम,
2. गजेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद,
3. सचिन पुत्र रामेश्वर प्रसाद, समस्त जाति मीना, निवासी ठिकरिया, तहसील सिकराय जिला दौसा।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. किलाणी देवी पत्नि पंखीराम, जाति मीना, निवासी ठिकरिया तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. भगवान सहाय पुत्र विश्राम, जाति योगी, निवासी ठिकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र विश्राम जाति योगी निवासी ठिकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सी.एल.मीना एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से
3. श्री हेमराज गुर्जर एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.10.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 के पिता हृदयाराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 979, 980 में से गलत तरीके से तहसीलदार द्वारा दी गई मिलीभगत की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने व अपीलान्ट प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय 19.12.2023 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी, तहसीलदार ने जो रिपोर्ट पेश की थी वह बिना मौके पर गये, बिना नाप–जोप किये व अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार व पडौसी काश्तकार को बुलाये बिना उक्त रिपोर्ट पेश की थी जिस रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट का प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम चलने योग्य ही नही था क्योंकि एकीकरण की गलती बतायी गयी थी और यदि कोई गलती हो तो भी एकीकरण की कार्यवाहियों का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की समरी प्रोसिडिंग के तहत कानूनन दुरूस्त नही किया जा सकता है बल्कि इसके लिये तो अधिघोषणा के दावे से ही उन्हे दुरूस्त कराया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 19.12.2023 पारित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सम्वत् 1932 के नक्शे, जो कि लगभग 150 वर्ष पुराना नक्शा है, और उसके बाद नक्शे में अनेकों बार परिवर्तन हो चुके है। उस नक्शे के आधार पर दुरूस्ती का केश पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय मुताबिक साबिका नक्शा सीट दुरूस्त करने के आदेश दिये किन्तु निर्णय में यह स्पष्ट नही किया गया है कि साबिक नक्शा सीट कौनसे सम्वत् के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिये गये है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नॉनस्पीकिंग व अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का जितना रकबा सेटलमेन्ट से पहले था उतना ही रकबा वर्तमान में है, रकबे के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट के सेटलमेन्ट पहले के नक्शे व वर्तमान नक्शे में कोई अंतर नही था। रकबे में भी कोई अन्तर नही था। पटवारी हल्का ने झूठी रिर्पोट पेश की थी जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2023 जो प्रार्थना पत्र उनवानी किलाणी बनाम राजस्थान सरकार, प्रार्थना पत्र नम्बर 109/2022 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि ग्राम ठिकरिया तहसील सिकराय में खसरा नम्बर 987 रकबा 0.4600 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार रूकमणी पत्नि विश्राम फौत हो चुकी है। उनके वारिसान पूर्व से ही खातेदार बने हुये है जो भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि एकीकरण विभाग वालों ने अवैंधानिक तरीके से नक्शा सीट में परिवर्तन कर दिया था जो कानूनन गलत है जबकि सम्वत् 1932 का नक्शा है, वही सही है तथा काकनून एकीकरण विभाग को पूर्व के अनुसार ही वर्तमान नक्शा सीट कायम करना चाहिये था किन्तु एकीकरण विभाग को नक्शा सीट में इस प्रकार के परितर्वन करने का कोई कानूनन अधिकार नही होने के बावजूद भी एकीकरण विभाग द्वारा वर्तमान नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई थी।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 987 का सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया गया था जिस पर दिनांक 20.06.2022 को तहसीलदार सिकराय द्वारा टीम गठित की गई जो ग्राम ठकरिया की आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 0.4600 हैक्टयर का सीमाज्ञान करने पहुँचे और नाप–जोत की जिसमें मौके एवं नक्शे के अनुसार दोनों तरफ से मिलान करने पर लगभग 5–6 मीटर का अन्तर आ गया। एकीकरण विभाग वालों द्वारा की गई उक्त कार्यवाही का पूर्व में रेस्पोडेन्ट को ज्ञान नही हो सका था तथा रेस्पोडेन्ट पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही अपनी भूमि पर काबिज चले आ रह थे तथा किसी कारणवश कुछ महिनों पहले ही रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल इत्यादि ली तो एकीकरण द्वारा वर्तमान नक्शा में किये गये परिवतन की जानकारी उन्हे हुई। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार के यहॉ उपस्थित होकर वर्तमान नक्शा ट्रेस को पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया किन्तु तहसीलदार द्वारा टालमटोल करते रहे। तब रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 01.11.2022 को तहसीलदार

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

के कार्यालय में उपस्थित होकर नक्शा दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने नक्शे में दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया जिससे बिनाय मुखास्मत पैदा होने पर प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट इत्यादि तलब करने के पश्चात् ही बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट प्राप्त कर एवं बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2023 विधि सम्मत ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे विदित है हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्ती के सम्बन्ध में है जिसमे होने वाले किसी भी आदेश से निश्चित रूप से पड़ौसी खातेदार काश्तकार भी प्रभावित होते है जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण व अन्य पडौसी खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार होने से उनका प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। साथ ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पडौसी खातेदारान का बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा भी बिना गौर किये ही एवं भूमि विवादग्रस्त की मौका स्थिति को बिना संज्ञान में लिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2023 पारित किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् साबिक रिकार्ड का गहन अध्ययन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।